

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1972/ज्येष्ठ 27, 1894

No. 300]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1972/JYAISTHA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June 1972

S.O. 433(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the whole of the area of five kilometers along and extending upto the international boundary adjoining the State of Manipur, the Tirap district in the Union territory of Arunachal Pradesh and the districts of Tuensang and Kohima in the State of Nagaland is in such a dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958), the Central Government hereby declares the whole of the said area to be a disturbed area.

[No. F.10/9/72-Poll(K).]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह नवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 1972

का० आ० 433 (अ) —गन' केन्द्रीय सरकार का विचार है कि मणिपुर राज्य, संब शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में तिरुप जिले और नागालैण्ड राज्य के तुएनमांग और कोहिमा जिलो की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ लगता हुआ पांच किलोमीटर का समस्त क्षेत्र, ऐसी खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग आवश्यक है

अब, इसलिए, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त समस्त क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है।

[सं० प० 101/9/72-राज० (के)]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, संयुक्त सचिव।